



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)



(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं.- ए-32012/1/2025-मा.सं.प्र.-I/698

दिनांक: 14.07.2025

कार्यालय आदेश

विषय : नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 में क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त, ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति हेतु 28.01.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंसाओं पर, माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., निम्नलिखित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों-II (तदर्थ) की पैनल वर्ष 2025 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (ग्रेड वेतन रु. 6600/-) में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के पद पर नियुक्ति को सहर्ष अनुमोदित करते हैं।

क्रम संख्या	नाम	ईआईडी
1.	एस. हेमलथा	SC201267109100300
2.	सुनील कुमार	ST030271048150300

- अधिकारी अगले आदेश तक वर्तमान तैनाती स्थल पर यथावत बने रहेंगे। नियमित पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
- इसके अतिरिक्त, ऐसे मामलों में जहाँ तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी अंतराल के नियमित नियुक्ति होती है, यह विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य होगा, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।
- अधिकारियों की वरिष्ठता ईपीएफ स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त, ग्रेड-II के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।
- उपरोक्त अधिकारियों की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ग्रेड-II के रूप में कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, संबंधित कार्यालय द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन, मुख्यालय को rel.hrm@epfindia.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसे एच आर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।
- उपर्युक्त अधिकारियों की पदोन्नति इस विषय से संबंधित विभिन्न न्यायालयीन मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन है।

(यह केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के अनुमोदन से जारी किया जाता है।)

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ. नि. आयुक्त - I (मा.सं.प्र.-I)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी

प्रतिलिपि (क.भ.नि.सं. की वेबसाइट के माध्यम से) -

1. माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के सचिव।
2. सचिव (श्रम एवं रोजगार) के प्रधान निजी सचिव।
3. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
4. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./अ. कें.भ.नि.आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. सभी अ. कें.भ.नि. आयुक्त, मुख्या. और अंचल/ मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय) प्रभारी/ क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त-। (प्रशा.)/ क्षेत्र.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी)
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप. निदेशक (सतर्कता)/ सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ आ. प्र. सं. के क्षेत्र.भ.नि.
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की निजी फाइल।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।